


सं. 23012/01/2015-अ.भा.से.-।।।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 27 जनवरी, 2016

अधिसूचना

डॉ. (सुश्री) कादम्बरी भगत, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र:2010) को अपना नाम डॉ.कादम्बरी भगत से बदलकर डॉ. कादम्बरी बालकावड़े करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, सरकारी प्रयोजनों के लिए उन्हें डॉ. कादम्बरी बालकावड़े के रूप में जाना जाएगा।


(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)